

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी: श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 21/2018

बउनवान

सुनील आयु 43 वर्ष पुत्र श्री बालमुकन्द नागर जाति धाकड़ निवासी उत्तम कॉलोनी, बारां तहसील व जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. ललिता आयु 37 वर्ष पुत्री बालमुकन्द नागर पत्नि सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी हाल कैलाश जी नागर रतनपुरा वालों का मकान अग्रवाल रिसोर्ट के पास, कॉलेज रोड़, बारां जिला बारां, राज0
2. बसन्तीबाई आयु 60 वर्ष बेवा बालमुकन्द नागर जाति धाकड़ निवासी उत्तम कॉलोनी, बारां, तहसील बारां जिला बारां, राज0
3. रानी आयु 40 वर्ष बेवा श्री राजेन्द्र हाल पत्नि स्वर्गीय शिवराज जाति धाकड़ निवासी गेंहूखेड़ी तहसील सांगोद जिला कोटा, राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां, राज0

(रिंस्पोडेंट्स)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध वसीयत जांच आदेश दिनांक 21.05.2018 प्रकरण संख्या 178/2017 तथा इन्तकाल संख्या 1871 दिनांक 24.05.2018 वाके कलमण्डा तहसील बारां तथा इन्तकाल नं0 792 दिनांक 15.06.2018 वाके नलका तहसील बारां, तहसीलदार, बारां

उपस्थिति :- 1. श्री बृजराज सिंह चौहान एडवोकेट
2. श्री बृजराज किशोर शर्मा एडवोकेट

(अपीलांट)
(रिंस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 22.07.2024



अपीलांट की ओर से जर्जे अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके ग्राम नलका तहसील बारां की आराजी खाता नं. 144 खसरा नंबर 224 रकबा 0.03 है., 225/505 रकबा 0.70 है., 302 रकबा 0.40 है. कुल किता 3 रकबा 1.13 है. व वाके ग्राम कलमण्डा तहसील बारां की खाता संख्या 354 खसरा नंबर 134 रकबा 3.53 है., 135/1935 रकबा 0.15 है., 241 रकबा 1.99 है., 242 रकबा 3.14 है. कुल किता 4 रकबा 8.81 है. स्व0 बालमुकन्द पुत्र धन्नालाल जाति धाकड़ साकिन नलका के खाते दर्ज थी। खातेदार बालमुकन्द का स्वर्गवास दिनांक 12.09.2016 को उत्तम कॉलोनी बारां में निवास करते समय हुआ। मृतक बालमुकन्द ने अपने जीवनकाल में दिनांक 27.08.2016 को अंतिम वसीयत पूर्ण होश हवास में गवाहान बदीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ व सलाउद्दीन पुत्र बुरहाउद्दीन की उपस्थिति में नोटेरी के समक्ष निष्पादित की है। जिसमें दिनांक 14.07.2016 को करवायी गये वसीयत को स्वतंत्र बुद्धि एवं बिना दाब दबाव के कर दिया था, परन्तु तहसीलदार बारां द्वारा दिनांक 27.08.2016 को की गई वसीयत को अस्वीकार कर देने के बाद भी दिनांक 14.07.2016 की वसीयत को आधार मानकर इन्तकाल नंबर 1871 दिनांक 24.05.2018 वाके कलमण्डा तथा इन्तकाल नंबर 792 दिनांक 15.06.2018 वाके नलका खोले

Prabh

जाने का आदेश दिया है जो निरस्तनीय है। उक्त आदेश में रानी बेवा राजेन्द्र को भी वारिस बताया है जो गलत एवं असंवैधानिक है क्योंकि रानी व राजेन्द्र का विवाह दिनांक 13.04.1992 को हुआ था। दिनांक 02.02.1993 को राजेन्द्र की मृत्यु होने के पश्चात रानी द्वारा शिवराज पुत्र बृजमोहन जाति धाकड़ निवासी गेंहूखेड़ी के साथ नाता विवाह कर लिया था, जिससे उसके दो संतान पैदा हुयी है तथा वर्तमान में भी उन्ही के साथ ग्राम गेंहूखेड़ी तहसील सांगोद में अपने ससुराल में निवास कर रही है। इस कारण रानी मृतक बालमुकन्द की जायदाद में किसी भी प्रकार का हक प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वसीयत जांच आदेश दिनांक 21.05.2018 प्रकरण संख्या 178/2017 तथा इन्तकाल संख्या 1871 दिनांक 24.05.2018 वाके कलमण्डा तहसील बारां एवं इन्तकाल नंबर 795 दिनांक 15.06.2018 वाके नलका तहसील बारां निरस्त फरमाया जाकर मृतक कालमुकन्द की अंतिम वसीयत दिनांक 27.08.2018 के आधार पर पुनः वसीयती उत्तराधिकारी अपीलान्ट सुनील के नाम पुनः इन्तकाल खोले जाने का आदेश प्रदान करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ज्य सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोंडेंट कम 1 जर्ज्य अभिभाषक उपस्थित हुई। रेस्पोंडेंट कम 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोंडेंट कम 1 अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी स्व० बालमुकन्द पुत्र धन्नालाल जाति धाकड़ साकिन नलका के खाते दर्ज थी। खातेदार बालमुकन्द का स्वर्गवास दिनांक 12.09.2016 को हुआ। मृतक बालमुकन्द ने अपने जीवनकाल में दिनांक 27.08.2016 को अंतिम वसीयत रूबरू गवाहान की। जिसमें दिनांक 14.07.2016 को करवायी गये वसीयत को स्वतंत्र बुद्धि एवं बिना दाब दबाव के निरस्त कर दिया था, परन्तु तहसीलदार बारां द्वारा दिनांक 27.08.2016 को की गई वसीयत को प्रस्तुत करने के बाद भी दिनांक 14.07.2016 की वसीयत को आधार मानकर इन्तकाल नंबर 1871 दिनांक 24.05.2018 वाके कलमण्डा तथा इन्तकाल नंबर 792 दिनांक 15.06.2018 वाके नलका खोले जाने का आदेश दिया है जो निरस्तनीय है। उक्त आदेश में रानी बेवा राजेन्द्र को भी वारिस बताया है जो गलत एवं असंवैधानिक है क्योंकि रानी व राजेन्द्र का विवाह दिनांक 13.04.1992 को हुआ तथा दिनांक 02.02.1993 को राजेन्द्र की मृत्यु होने के पश्चात रानी द्वारा शिवराज पुत्र बृजमोहन जाति धाकड़ निवासी गेंहूखेड़ी के साथ नाता विवाह कर लिया था, जिससे उसके दो संतान पैदा हुयी है तथा वर्तमान में भी उन्ही के साथ ग्राम गेंहूखेड़ी तहसील सांगोद में अपने ससुराल में निवास कर रही है। इस कारण रानी मृतक बालमुकन्द की जायदाद में किसी भी प्रकार का हक प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने विधिक दृष्टांत 2006(2) CDR 1237 (Raj) (DB) पृष्ठ संख्या 1237 का अवलोकन करवाया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

जिला कलक्टर
बारां (उप०)



हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा मृतक बालमुकन्द द्वारा की गई वसीयत दिनांक 27.08.2016 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वसीयत पर गौर नहीं कर अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासत के आधार पर खोले जाकर तस्दीक किये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां का वसीयत जांच आदेश दिनांक 21.05.2018 प्रकरण संख्या 178/2017 तथा इन्तकाल संख्या 1871 दिनांक 24.05.2018 वाके कलमण्डा तहसील बारां एवं इन्तकाल नंबर 795 दिनांक 15.06.2018 वाके नलका तहसील बारां निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक स्व० बालमुकन्द पुत्र धन्नालाल जाति धाकड़ साकिन नलका की वसीयत दिनांक 27.08.2016 की जांच कर प्रकरण में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (राज०)

